

दिनांक 3-8-22 को पेश हो

3-8-22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।  
वकील प्रतिवादी उपस्थित। बार-बार आवाज  
दिलवायी गयी। सायं 5-15 P.M. बज चुके  
हैं। बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद  
वादी व वकील वादी में से कोई उपस्थित  
नहीं। अतः अदम लाजरी / अदम पैन्वी में  
वादी का वाद खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

